

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141- 2742309, ई-मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

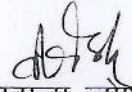
क्रमांक:- एफ. 3 (ख)() अलेसे-11/4345-50

दिनांक:-20 मई 2014

कार्यालय आदेश

श्री अशोक कुमार जैन, कनि० लेखाकार (मेरिट नं. 185/90आर, लिंक नं. 3887) कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत्त अजमेर को कार्यालय संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, अजमेर में लेखाकार के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्य प्रभार अग्रिम आदेशों/पदस्थापन होने तक सम्पादित करने के लिए तुरंत प्रभाव से अधिकृत एवं निर्देशित किया जाता है।

इन्हें राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 एवं 50 के अन्तर्गत अतिरिक्त कार्यभार देय होगा।


(वीरबाला जोशी)
निदेशक,

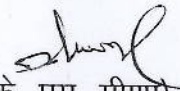
कोष एवं लेखा विभाग,

क्रमांक:- एफ. 3 (ख)() अलेसे-11/4345-50

दिनांक:-20 मई 2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कोषाधिकारी कोष कार्यालय अजमेर।
2. अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत्त अजमेर।
3. संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, अजमेर।
4. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने तथा पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
5. श्री अशोक कुमार जैन, कनि० लेखाकार (मेरिट नं. 185/90आर, लिंक नं. 3887) कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत्त अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त अतिरिक्त कार्यभार अविलम्ब ग्रहण कर अवगत करावें।
6. निजी सहायक, निदेशक महोदया।
7. व्यक्तिगत पंजिका।
8. रक्षित पंजिका/आदेश पंजिका।


(के. एम. मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)